(i<v *a* Crores)

	BE 92-93	RE 92-93	BE 93-94
(a) Plan Inv.stm·ni	4919	4641	5580
(b) Non-Plan Loans	445	601	723
(c) Provision for VRS	149	708	639
(d) Plans Loans to certain Textile Mill as part of the turn around strategy.	..	122	61
TOTAL	5513	6072	7003

Development of Shipping Industry

@@@2573. SHRI SUNIL, BASU RAY; Will the Minister of FINANCE bo pleased to state:

a) what are the details of plans to save sick shipping companies like india Steam Ship Company Limited, which have all along served national interest and received 'crores of rupees of SDFC loans and other bank/Government Finances with the overall purpose of development of shipping industry; and

(b) the steps so far taken, if any, in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MIN ISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Government, as the suc cessor of the erstwhile Shipping Deve lopment Fund Committee (SDFC), have approved certain guidelines for rehabilitation of sick but potentially viable private shipping compianies. These such companies (including In dia Steamship Company Ltd.) are currently under rehabilitation Mea sures contemplated and steps taken so liar under this package are:

(i) Scaling down of outstanding principal debt so as to bring it down in line with the market value of the fleat at the stage of restructuring. Resultant debt to be rescheduled and made payable within a pariod of 7 to 8 years.

(ii) The excess outstanding debt over market value of fleet to be converted into interest free frozen debt.

(iii) Overdue interest to be converted to 6 per cent subordinated loan, redeemable when cash permits.

(iv) Replacement of ovenaged tonnage by modern fuel efficient and younger vessels.

®@@©Previously Unstarred Question 1940 transferred from 10th Mlarch, 1993.

हरियाणा में बैंक

2574. **श्री रामजी लाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में, राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंकों की जिलावार संख्या क्या है ;

(ख) क्या वर्ष 1993–94 के दौरान हरियाणा में उपर्युक्त बैंकों की नई शाखायें खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो उसका जिला-वार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या "महिला बैंक" खोलने का भी कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो कितने बैंक खोले जाने का प्रस्ताव है, और ऐसे बैंक खोलने के लिए किन-किन स्थानों को चुना गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) (क) 30.6.92 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार हरियाणा में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखायें निम्नानुसार हैं :—

जिला	सरकारी क्षेत्र के बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
अम्बाला	107	11
भिवानी	42	50
फरीदाबाद	79	34
गुड़गांव	45	44
हिसार	96	27
जींद	56	—
कैथल	40	10
करनाल	72	—
कुरुक्षेत्र	39	9
महेन्द्रगढ	22	22
पानीपत	60	—
रिवाड़ी	30	23
रोहतक	91	33
सिरसा	62	18
सोनीपत	71	—
यमुनानगर	62	9
जोड़	974	290

(ख) और (ग) वर्तमान शाखा लाइसैंसिंग नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का खोला जाना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका नियंत्रण इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों द्वारा किया जाता है । अतः 1993-94 के दौरान राज्य-वार या बैंकवार खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(घ) सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे बैंक नहीं खोलता है । राज्य की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा विधिवत संस्तुत महिला बैंकों के रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हेतु प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक को प्राप्त होते हैं । भारतीय रिजर्व बैंक इन प्रस्तावों पर ऐसे बैंक खोलने की वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए विचार करता है ।